



डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0,
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ

पत्रांक: 427 / वि.अ. / एकेटीयू / वित्त / 2025

दिनांक : 15/11/25

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

शीघ्र प्राथमिकता

विषय : सत्र 2025-26 में छात्र/छात्राओं द्वारा जमा की गयी इनीशियल फीस
(यू.पी.टी.ए.सी.) रिफण्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सत्र 2025-26 में यू.पी.टी.ए.सी. काउंसलिंग में छात्र/छात्राओं द्वारा जमा की गयी इनीशियल शुल्क वापस किये जाने का कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस हेतु समस्त संस्थानों की बैंक डिटेल की आवश्यकता होगी विश्वविद्यालय द्वारा ई.आर.पी. पोर्टल पर संस्था द्वारा उपलोड बैंक डिटेल के अनुसार ही धनराशि हस्तांतरित की जायेगी।

अतएव समस्त संस्थानों के निदेशक/प्राचार्य से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के ई.आर.पी. पोर्टल पर अपने संस्थान की बैंक डिटेल को चेक करना सुनिश्चित करे। बैंक डिटेल में त्रुटि होने के कारण धनराशि हस्तांतरित किये जाने की किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण ट्रांजेक्शन के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

भवदीय

वित्त अधिकारी

सेक्टर-11, जानकीपुरम

विश्वविद्यालय

डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0